

इलिनाय न्यायालय-आधारित किराया सहायता कार्यक्रम मकान मालिक अनुदान समझौता

- 1. सीबीआरएपी अनुदान।** उपर्युक्त किरायेदार ("किरायेदार" या "अनुदानग्राही") को बेदखल होने से बचाने में सहायता करने के लिए, उपरोक्त किराए केपते (किराया इकाई) पर किराया न चुकाने के कारण परिवार को किराए का भुगतान नहीं करने के संबंध में, मैं, उपर्युक्त मकान मालिक, या उपर्युक्त मकान मालिक का विधिवत अधिकृत एजेंट ("मकान मालिक"), या अनुदानग्राही ने इलिनाय आवासीय विकास पराधिकार ("आईएचडीए"), जो 111 ई. वैकर क्लव, सुइट 1000, शिकागो, इलिनाय 60601 में स्थित है, से अनुरोध किया है कि वह इलिनाय न्यायालय आधारित किराया सहायता कार्यक्रम ("सीबीआरएपी") से अनुदानग्राही की ओर से दस हजार डॉलर (\$10,000.00) से अधिक की राशि ("सीबीआरएपी अनुदान") नहीं परदान करे। 1 अक्टूबर, 2026 से परभावी, आईएचडीए का पता 225 एन. मिशगन एवेन्यू, सुइट 800, शिकागो, इलिनाय 60601 है। इलिनाय मानव सेवा विभाग द्वारा आईएचडीए को बेघरपन को रोकने और समाप्त करने के लिए होम इलिनाय कार्यक्रम के रूप में सीबीआरएपी निधि परदान की गई है।
- 2. सीबीआरएपी अनुदान स्थिति।** इस अनुदान समझौते के तहत मकान मालिक के दायित्व इस शर्त पर आधारित हैं कि अनुदान प्राप्तकर्ता को सीबीआरएपी अनुदान निधि के लिए मंजूरी मिल जाए और उसे यह राशि परदान की जाए। मकान मालिक यह स्वीकार करता है और समझता है कि वह सीबीआरएपी अनुदान आवेदन की स्वीकृति की उम्मीद में इस अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा है, लेकिन जब तक मकान मालिक द्वारा इस अनुदान समझौते पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर नहीं किए जायें और सहमत नहीं दी जाएगी, तब तक ऐसा आवेदन पूर्ण नहीं होगा। मकान मालिक यह स्वीकार करता है और समझता है कि इस अनुदान समझौते की शर्तों पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करना और उनसे बाध्य होने के लिए सहमत होना किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता की गारंटी नहीं है। मकान मालिक समझता है कि आईएचडीए बेदखली की सबसे पहली तारीख या अदालती कार्य वाही की परगित की गित के आधार पर आवेदनों को प्राथमिकता दे सकता है। आईएचडीए उमर, लिंग, नस्ल, रंग, धर्म, राष्ट्रीय मूल, आप्रवासन स्थिति या नागरिकता, विकलांगता, भूतपूर्व सैनिक स्थिति या आनुवंशिक जानकारी के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। मकान मालिक इस बात से सहमत है कि यदि वह सीबीआरएपी में भाग न लेने का निर्णय लेता है, तो वह यथाशीघ्र आईएचडीए को सूचित करेगा।
- 3. सीबीआरएपी अनुदान की संरचना।** यदि अनुदानग्राही किसी भी प्रकार की आवेदन को वित्त पोषण के लिए मंजूरी मिल जाती है, तो अनुदानग्राही को किराये की इकाई से बेदखल होने से बचाने और अनुदानग्राही को किराये की स्थिरता परदान करने के लिए सीबीआरएपी अनुदान का भुगतान अनुदानग्राही की ओर से सीधे मकान मालिक को जारी किया जाता है। सीबीआरएपी सहायता, सहायता राशि की परवाह किए बिना, किसी भी 24 महीने की अवधि के भीतर परित परिवार एकमुश्त लाभ के रूप में उपलब्ध है।
- 4. अनुदान कवरेज अवधि।** सीबीआरएपी अनुदान की कवरेज अवधि सीबीआरएपी अनुदान द्वारा कवर किए गए पहले महीने के पहले दिन से शुरू होती है और सीबीआरएपी अनुदान द्वारा कवर किए गए अंतिम महीने के अखिरी दिन समाप्त होती है, जो भविष्य का कोई महीना हो सकता है। सीबीआरएपी अनुदान राशि बकाया मासिक किराए और किराये की इकाई में दो (2) महीने तक के भविष्य के किराए को कवर कर सकती है।
- 5. अनुदान राशि।** सीबीआरएपी अनुदान या तो (क) दस हजार डॉलर या (ख) वह राशि होगी जो मकान मालिक अनुदानग्राही को किराए का भुगतान करने और किराये की इकाई से बेदखल होने से बचाने के लिए स्वीकार करने को तैयार है, जो अनुदान कवरेज अवधि के दौरान सत्यापित बकाया राशि, किराये की इकाई के दो (2) महीने

के संभावित किराए और सात सौ डॉलर (700.00 डॉलर) बेदखली खर्च से अधिक नहीं होगी, इनमें से जो भी राशि कम होगी, वह अनुदान राशि होगी। सीबीआरएपी अनुदान, सीबीआरएपी अनुदान की स्वीकृति की तिथि तक मकान मालिक द्वारा किरायेदार के विरुद्ध बकाया सभी राशि के दावों को पूरा करेगा। स्पष्टता के लिए: यदि किसी किरायेदार का सत्यापित बकाया किराया 10,000 डॉलर से अधिक है, तो सीबीआरएपी अनुदान केवल 10,000 डॉलर की सहायता प्रदान करेगा और मकान मालिक को किरायेदार को बकाया राशि का भुगतान करना होगा ताकि मकान मालिक को बकाया राशि प्राप्त हो।

6. बेदखली नहीं। किरायेदार के सीपीआरएपी अनुदान की स्वीकृति मिलने पर, और धनराशि प्राप्त करने की शर्त के रूप में:

- a. किराये की इकाई में अनुदान कवरेज अवधि से संबंधित बेदखली की कार्यवाही मकान मालिक द्वारा शुरू नहीं की जाएगी, जारी नहीं रखी जाएगी, दोबारा दायर नहीं की जाएगी या किसी अन्य प्रकार से उसमें शामिल नहीं होगी। यदि बेदखली का कोई मामला लंबित है, तो मकान मालिक बेदखली को पूर्वाग्रह सहित खारिज करने के लिए आवेदन करेगा, पूर्वाग्रह सहित खारिज करने के आवेदन के लिए सबूत प्रदान करेगा, और बेदखली को दोबारा दायर नहीं करेगा या अन्यथा उस पर पुनर्विचार नहीं करेगा;
- b. सीबीआरएपी अनुदान की स्वीकृति के बाद कम से कम 60 (साठ) दिनों तक मकान मालिक न तो पट्टा समाप्त करेगा, न ही किराए, शुल्क या किसी भी प्रकार के मौद्रिक नुकसान के भुगतान न करने के कारण किराये की इकाई से संबंधित किसी भी प्रकार की बेदखली कार्यवाही शुरू करेगा, जिसमें 5-दिन या 30-दिन का नोटिस या किसी भी प्रकार का कोई अन्य नोटिस शामिल है, जारी रखेगा, दर्ज करेगा, पुनः दर्ज करेगा या लागू करेगा।
- c. मकान मालिक एक सहमति से निर्धारित बेदखली आदेश जारी कर सकता है, जिसमें एक विशिष्ट खाली करने की तारीख शामिल हो, बशर्ते वह इस अनुदान समझौते की शर्तों के साथ अन्यथा विरोधाभास न करे। यदि किरायेदार सहमत आदेश की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, तो मकान मालिक किराये की इकाई का कब्जा वापस पाने के लिए कानूनी कार्यवाही कर सकता है।

7. बिना कोई शुल्क। किरायेदार द्वारा अनुदान कवरेज अवधि के दौरान किराये की इकाई पर किरायेदार के कब्जा करने से संबंधित सभी शुल्क, लागत, दंड या जुर्माना (जिसमें विलंब शुल्क, बकाया किराया शुल्क, बेदखली लागत, अदालती लागत, कानूनी शुल्क और कोई अन्य शुल्क, लागत, दंड या जुर्माना शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) मकान मालिक माफ कर देगा। अनुदान अवधि के दौरान मकान मालिक कोई अतिरिक्त शुल्क, लागत, दंड या जुर्माना नहीं लगाएगा। आईएचडीए, अपने विवेकाधिकार के आधार पर, सीबीआरएपी अनुदान के हिस्से के रूप में किए गए बेदखली खर्चों के लिए मकान मालिक को सात सौ (\$700.00) और 00/100 डॉलर तक दे सकता है।

8. इलाज का अधिकार। (माउंट प्रॉस्पेक्ट को छोड़कर) कुक काउंटी में बेदखली का सामना कर रहे पात्र किरायेदारों को सात सौ डॉलर और 00/100 डॉलर (700.00 डॉलर) तक के बकाया किराए और अदालती खर्चों के भुगतान के लिए पात्रता मिल सकती है, ताकि वे शिकागो शहर के नगर पालिका कोड 5-12-130 या कुक काउंटी आवासीय किरायेदार मकान मालिक अध्यादेश के तहत अपने उपचार के अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। पात्र होने के लिए, किरायेदारों का प्रतिनिधित्व आईएचडीए के साथ साझेदारी में एक अनुमोदित कानूनी सहायता संगठन द्वारा

किया जाना चाहिए जो सीबीआरएपी के लिए सहायता प्रदान करता हो और सीबीआरएपी आवेदन और पात्रता की अन्य सभी शर्तों को पूरा करता हो। यदि मंजूरी मिल जाती है, तो आईएचडीए किरायेदार की ओर से मकान मालिक को भुगतान जारी करेगा, जो कानूनी सहायता संगठन को भेजा जाएगा। यदि किरायेदार अपने डिफॉल्ट सुधार का अधिकार का प्रयोग करता है, तो मकान मालिक को लागू नगरपालिका संहिता या अध्यादेश की सभी शर्तों के साथ-साथ इस समझौते के नियमों और शर्तों का भी पालन करना होगा। अदालती खर्चों सहित कुल सीबीआरएपी अनुदान, दस हजार डॉलर और 00/100 डॉलर (\$10,000.00) तक सीमित है, जैसा कि यहां पैराग्राफ 5 में वर्णित है।

9. गैर-भेदभाव। मकान मालिक किराये की इकाई के पट्टे से संबंधित सभी संघीय, राज्य और स्थानीय कानूनों, संहिताओं और अध्यादेशों का पालन करेगा, जिसमें गैर-भेदभाव भी शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

10. वादे, प्रमाणन और प्रतिनिधित्व। मकान मालिक समझता है कि जानबूझकर गलत जानकारी प्रस्तुत करना संघीय और इलिनॉय राज्य के कानूनों का उल्लंघन हो सकता है। सीबीआरएपी अनुदान राशि स्वीकार करने की शर्त के रूप में, मकान मालिक 720 आईएलसीएस 5/32-2 के तहत, झूठी गवाही देने के दंड के तहत, निम्नलिखित को प्रमाणित करता है:

- a. सीबीआरएपी अनुदान राशि, सीबीआरएपी अनुदान की स्वीकृति की तिथि तक किराये की इकाई में किरायेदार के विरुद्ध मकान मालिक के सभी बकाया धन दावों को संतुष्ट करती है।
- b. मकान मालिक की जानकारी के अनुसार, अनुदानग्राही का सीबीआरएपी अनुदान किसी अन्य संघीय या राज्य वित्त पोषित किराया सहायता के समान नहीं है।
- c. अनुदान अवधि के दौरान मकान मालिक को किराये की इकाई के लिए किरायेदार के बकाया किराए से संबंधित किसी भी स्रोत से सहायता प्राप्त नहीं हुई है और न ही भविष्य में सहायता प्राप्त होने की उम्मीद है।
- d. मकान मालिक के सीबीआरएपी अनुदान आवेदन में दी गई सभी जानकारी सत्य, सटीक और पूर्ण है।
- e. मकान मालिक यह समझता है कि इलिनॉय राज्य और आईएचडीए किसी भी समय मकान मालिक के बयानों की सटीकता की जांच कर सकते हैं, और मकान मालिक समय पर सभी अनुरोधित जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराएगा, जिसमें किराये की इकाई पर लागू वर्तमान या नवीनतम पट्टा या अधिभोग समझौते की पूरी तरह से हस्ताक्षरित प्रति शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
- f. मकान मालिक यह समझता है कि आईएचडीए, मकान मालिक के सीबीआरएपी अनुदान आवेदन में दी गई जानकारी का उपयोग अनुदान प्राप्तकर्ता परिवार की सीबीआरएपी निधि के लिए पात्रता का मूल्यांकन करने के लिए करेगा, लेकिन आईएचडीए किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है।
- g. मकान मालिक की जानकारी के अनुसार, अनुदानग्राही के परिवार के सदस्य (किरायेदार, सह-किरायेदार, या कोई भी पूर्णकालिक निवासी):
 - (i) अनुदानग्राही जिस महीने के बकाया भुगतान के लिए सीबीआरएपी अनुदान मांग रहा है, उस दौरान

किराये की इकाई में निवास किया हो;

- (ii) सीबीआरएपी आवेदन और इस अनुदान समझौते की तिथि तक किराये की इकाई में निवास कर रहे थे; और,
- (iii) जब तक आईएचडीए ने ऐसे आवेदन को मंजूरी नहीं दी है जिसमें अनुदानग्राही और मकान मालिक के बीच एक सहमति आदेश हो जिसके तहत अनुदानग्राही परिसर खाली कर देगा, तब तक अनुदानग्राही सीबीआरएपी में भाग लेते समय किराये की इकाई को खाली करने का इरादा नहीं रखता है।
- h. मकान मालिक और किरायेदार के बीच वैध संबंध मौजूद है। किराये के इस मकान में रहने वाला कोई भी व्यक्ति मकान मालिक के परिवार का सदस्य नहीं है।
- i. किराये की राशि सहित, पट्टे या अधिभोग समझौते की शर्तें, लेकिन इतने तक सीमित नहीं है, आईएचडीए द्वारा निर्धारित किराये की इकाई के इलाके में स्वतंत्र तृतीय पक्षों को दी जाने वाली पेशकशों के तुलनीय हैं।
- j. मकान मालिक यह समझता है कि आईएचडीए पूर्ण किए गए आवेदनों को रैंडम संख्याएँ आवंटित करने के लिए किसी तृतीय-पक्ष संस्था के साथ अनुबंध कर सकता है और आवेदन करना अनुदान प्राप्तकर्ता के परिवार के लिए सहायता की गारंटी नहीं है।
- k. मकान मालिक यह समझता है कि सीबीआरएपी निधि सीमित है और सभी पात्र आवेदकों को वित्त पोषित करने के लिए अपर्याप्त हो सकती है। आईएचडीए उन आवेदनों को प्राथमिकता दे सकता है जिनमें बेदखली की तारीख नजदीक हो या अदालती कार्यवाही की गति के आधार पर प्राथमिकता तय कर सकता है।
- l. मकान मालिक यह समझता है कि यदि किराये की इकाई संघीय रूप से सब्सिडी प्राप्त आवासीय या मिश्रित उपयोग वाली संपत्ति का हिस्सा है, तो सीबीआरएपी निधि का उपयोग किसी अन्य संघीय सहायता के तहत भुगतान की गई, अपेक्षित या प्रतिपूर्ति की गई लागतों के लिए नहीं किया जाएगा।
- m. मकान मालिक यह समझता है कि यदि घर में किसी को भी सीबीआरएपी अनुदान के अलावा कोई अन्य किराया सहायता प्राप्त होती है, तो सीबीआरएपी अनुदान का उपयोग केवल किराए के उस हिस्से का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है जो अन्य किराया सहायता द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है।
- n. मकान मालिक इस अनुदान समझौते के अंतर्गत आने वाली किराये की इकाई से संबंधित न होने वाले किसी भी किराए या अन्य खर्चों के लिए सीबीआरएपी निधि का उपयोग नहीं करेगा।
- o. मकान मालिक, किराये की इकाई के स्वामित्व को सत्यापित करने या आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए आईएचडीए को किराये की इकाई से संबंधित सभी सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराएगा।
- p. यदि अनुदानग्राही का सीबीआरएपी आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो मकान मालिक बिना किसी देरी के

सीबीआरएपी अनुदान राशि जमा करेगा और किरायेदार के खाते में धनराशि स्थानांतरित करेगा।

11. अत्यधिक या त्रुटिपूर्ण सीबीआरएपी अनुदान पुरस्कार निधि। मकान मालिक स्वीकार करता है कि यदि किसी भी कारण से, (क) सीबीआरएपी अनुदान किरायेदार के किराये के बकाया, किराये की इकाई में दो महीने के संभावित किराए, या दोनों को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि से अधिक है, या (ख) मकान मालिक को आईएचडीए द्वारा अपने विवेकाधिकार से निर्धारित त्रुटिपूर्ण भुगतान प्राप्त होता है: मकान मालिक किसी भी अतिरिक्त या गलत राशि को तुरंत आईएचडीए को वापस कर देगा। अधिक भुगतान या गलत भुगतान के लिए चेक इलिनॉय आवास विकास प्राधिकरण के नाम पर देय होना चाहिए और नीचे दिए गए दो पतों में से किसी एक पर जेपी मॉर्गन चेस के माध्यम से आईएचडीए को भेजा जाना चाहिए। **कृपया चेक पर किराये की इकाई का पता और किरायेदार का नाम अवश्य लिखें।**

चेक निम्न के नाम पर देय हैं: इलिनॉय आवास विकास प्राधिकरण

ओवरनाइट/कूरियर का पता इस प्रकार है:

इलिनॉय आवास विकास प्राधिकरण
सी/ओ जेपी मॉर्गन चेस
पीओ बॉक्स 735034
131 S डीयरबोर्न, 6ठा फ्लोर
शिकागो, इलिनॉय 60603

नियमित मेल

इलिनॉय आवास विकास प्राधिकरण
सी/ओ जेपी मॉर्गन चेस
पीओ बॉक्स 735034
शिकागो, इलिनॉय 60673-5034

12. राज्य का कानून। मकान मालिक लागू राज्य के कानूनों का पालन करने के लिए सहमत है।

13. मकान मालिक का डिफॉल्ट। यदि इस अनुच्छेद 13 में परिभाषित अनुसार कोई डिफॉल्ट होता है, तो आईएचडीए, अपने विवेकाधिकार पर, मकान मालिक से आईएचडीए को अनुदानग्राही के सीबीआरएपी अनुदान की पूरी राशि के साथ-साथ उचित शुल्क, लागत और व्यय, जिसमें वकील की फीस भी शामिल है, की प्रतिपूर्ति करने की मांग कर सकता है। डिफॉल्ट होने की स्थिति में, आईएचडीए कानून या न्यायसंगतता के तहत उपलब्ध सभी अधिकारों और उपायों को सुरक्षित रखता है। आईएचडीए द्वारा अपने अधिकारों या उपायों का प्रयोग करने में किसी भी प्रकार की देरी को उसके किसी भी अधिकार या उपाय का त्याग नहीं माना जाएगा। यदि मकान मालिक निम्न स्थितियों में है, तो वह "डिफॉल्ट" स्थिति में है:

- a. इस अनुदान समझौते की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है;
- b. इस अनुदान समझौते या सीबीआरएपी से संबंधित किसी अन्य दस्तावेज के तहत मकान मालिक के किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है, जिसमें सीबीआरएपी अनुदान आवेदन भी शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है;
- c. इस अनुदान समझौते में किए गए वादों, प्रमाणनों और प्रस्तुतियों के उल्लंघन में झूठी जानकारी प्रस्तुत करता है या महत्वपूर्ण गलत बयान देता है;

- d. सीबीआरएपी के किसी भी भाग के संबंध में धोखाधड़ी करता है; या,
- e. अमेरिकी अटॉर्नी जनरल द्वारा किसी भी आतंकवादी कार्रवाई में भागीदार या साजिशकर्ता के रूप में पहचाना जाता है।

14. मकान मालिक को दी जाने वाली छूट। आईएचडीए को देय और स्वामित्व वाली राशियाँ, आईएचडीए द्वारा भुगतान के लिए औपचारिक अनुरोध किए बिना भी वैध बनी रहती हैं। मकान मालिक, आईएचडीए से निम्नलिखित की अपेक्षा करने के अपने अधिकार को त्याग देता है:

- a. देय राशि के भुगतान के लिए औपचारिक मांग जारी करना;
- b. यह सूचना देने कि देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है; या
- c. भुगतान न होने का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्राप्त करना।

15. क्षतिपूर्ति। मकान मालिक सीबीआरएपी, इस अनुदान समझौते के अंतर्गत प्राप्तकर्ता के कार्य-निष्पादन, पट्टे, किराये की इकाई, या मकान मालिक से उत्पन्न होने वाले या इनसे संबंधित किसी भी प्रकार की देनदारियों, दावों, क्षतियों, नुकसानों और खर्चों (जिसमें कानूनी बचाव का खर्च, वकीलों की फीस, समझौते या निर्णय शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) — चाहे वे सीधे मुकदमे के कारण हों या किसी तीसरे पक्ष की ओर से — के विरुद्ध आईएचडीए और उसके सदस्यों, अधिकारियों, एजेंटों, कर्मचारियों या ठेकेदारों की क्षतिपूर्ति करने, उनका बचाव करने तथा उन्हें हानिरहित रखने के लिए सहमत है। किसी भी परिस्थिति में, मकान मालिक, अनुदानग्राही या आईएचडीए द्वारा इस अनुदान समझौते या सीबीआरएपी अनुदान के संबंध में प्रदान किए गए किसी भी दस्तावेज़ के तहत अपने दायित्वों के उल्लंघन की प्रकृति चाहे जो भी हो, आईएचडीए मकान मालिक को किसी भी परिणामी या आकस्मिक क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसमें बिना किसी सीमा के, लाभ की हानि भी शामिल है। मकान मालिक परिणामी और आकस्मिक क्षति के लिए सभी दावों को त्याग देता है। मकान मालिक इस बात से सहमत है कि किसी भी परिस्थिति में आईएचडीए किसी भी प्रकार की क्षति के लिए मकान मालिक के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

16. नोटिस जारी करना। इस अनुदान समझौते के अंतर्गत कोई भी सूचना इलेक्ट्रॉनिक मेल (ई-मेल) के माध्यम से भेजी जाएगी। सभी ईमेल संदेशों के विषय में अनुदानग्राही या आवेदक का नाम, आवेदन संख्या और किराये की इकाई का पता अवश्य होना चाहिए:

मकान मालिक के लिए:

किरायेदार का नाम
किराये का पता
केस आईडी
मकान मालिक का ईमेल

अनुदानग्राही के लिए:

किरायेदार का नाम
किराये का पता
केस आईडी

किरायेदार का ईमेल

आईएचडीए के लिए: किरायेदार का नाम
किराये का पता
किरायेदार केस आईडी
Cbrap.info@ihda.org

- 17. आयकर संबंधी विचार।** आईएचडीए आयकर संबंधी कोई सलाह नहीं देता है और किसी भी सीबीआरएपी अनुदान के कर निहितार्थों के संबंध में कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है तथा मकान मालिकों को पेशेवर कर परामर्श लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- 18. संशोधन।** इस अनुदान समझौते में आईएचडीए द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में संशोधन के अलावा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है।
- 19. दायित्वों का अस्तित्व।** इस अनुदान समझौते के तहत मकान मालिक के दायित्व, सीबीआरएपी अनुदान के वितरण के बाद भी बने रहेंगे।
- 20. समझौते का सृजन।** इस अनुदान समझौते के किसी भी खंड, भाग या प्रावधान की अमान्यता शेष भागों की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी। किसी भी स्थिति में, आईएचडीए किसी अन्य प्रावधान की अमान्यता के बावजूद संप्रभु प्रतिरक्षा को माफ नहीं करता है। मकान मालिक इस बात से सहमत है कि यह अनुदान समझौता और इस अनुदान समझौते के तहत पक्षों के अधिकार और दायित्व इसके कानून के टकराव के सिद्धांतों का संदर्भ दिए बिना इलिनॉय राज्य के कानूनों द्वारा शासित होंगे। यदि एक से अधिक पक्ष मकान मालिक के रूप में इस अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, तो ऐसे सभी पक्ष संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी होने के लिए सहमत हैं।
- 21. इलेक्ट्रॉनिक और प्रतिलिपि हस्ताक्षर।** आईएचडीए अपने पूर्ण विवेकाधिकार के आधार पर मूल हस्ताक्षर मांगने या इलेक्ट्रॉनिक, फैक्स या फैक्स की फोटोकॉपी पर भरोसा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, और मकान मालिक एतद्वारा आईएचडीए के एकमात्र निर्णय के आधार पर अपने हस्ताक्षर की वैधता पर आपत्ति करने के किसी भी अधिकार को त्याग देता है।
- मकान मालिक यह स्वीकार करता है कि उसे एक वकील के साथ इस अनुदान समझौते की समीक्षा करने का अवसर मिला था, और मकान मालिक इसके नियमों और शर्तों को समझता है और उनसे सहमत है।
- 22. तृतीय पक्ष लाभार्थी।** इसमें शामिल पक्ष यह स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि अनुदानग्राही इस अनुदान समझौते का तृतीय-पक्ष लाभार्थी है। अनुदानग्राही इस समझौते के प्रावधानों पर भरोसा करने और उन्हें लागू करने का हकदार होगा। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत अनुदानग्राही के अधिकार हस्तांतरणीय नहीं हैं।